I/61822/2022

संख्या– 292 /XXXVI-A-I/2022-261/2022

प्रेषक,

धनंजय चतुर्वेदी,
सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिबन्धक,
मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय,
नैनीताल।

न्याय अनुभाग–1 देहरादूनः दिनांक 08 सितम्बर, 2022

विषय– **मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित रिट याचिका सं0–643/2015 ऑल इण्डिया जजेज एसोसियेशन बनाम भारत संघ व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा एवं उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा के न्यायाधीशों को दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित वेतनमान स्वीकृत किये जाने विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा रिट याचिका (सिविल) सं0–643/2015 में पारित आदेश दिनांक 27.07.2022 द्वारा समस्त राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को आदेशित किया गया है कि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग (SNJPC) द्वारा न्यायिक अधिकारियों के वेतन विषयक की गई संस्तुतियों को दिनांक 01.01.2016 से लागू किया जाय।

2– अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.07.2022 के अनुपालन में उत्तराखण्ड राज्य के न्यायिक सेवा के अधिकारियों तथा उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के वेतनमान को दिनांक 01.01.2016 से संलग्न तालिका सं0–1, 2 एवं 3 के आलोक में निम्नानुसार पुनरीक्षित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

क–उत्तराखण्ड न्यायिक सेवा

क्र0 सं0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	लेवल
1	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), साधारण वेतनमान	27700–770–33090–920–40450–1080–44770	77840–136520	J-1
2	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), प्रथम ए0सी0पी0	33090–920–40450–1080–45850	92960–136520	J-2
3	सिविल जज (जूनियर डिवीजन), द्वितीय ए0सी0पी0	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	111000–163030	J-3
4	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), साधारण वेतनमान	39530–920–40450–1080–49090–1230–54010	111000–163030	J-3

5	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), प्रथम ए०सी०पी०	43690–1080–49090–1230–56470	122700–180200	J-4
6	सिविल जज (सीनियर डिवीजन), द्वितीय ए०सी०पी०	51550–1230–58930–1380–63070	144840–194660	J-5

ख–उत्तराखण्ड उच्चतर न्यायिक सेवा

क्र० सं०	पदनाम	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	लेवल
1	जिला जज (एन्ट्री लेबल)	51550–1230–58930–1380–63070	144840–194660	J-5
2	जिला जज (चयन वेतनमान)	57700–1230–58930–1380–67210–1540–70290	163030–219090	J-6
3	जिला जज (सुपर टाईम वेतनमान)	70290–1540–76450	199100–224100	J-7

टिप्पणी–न्यायिक सेवा में ए० सी० पी० वेतनमान एवं उच्चतर न्यायिक सेवा में चयन तथा सुपर टाईम वेतनमान की अनुमन्यता की शर्ते पूर्ववत रहेंगी। पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण संलग्नक–2 की फिटमेन्ट तालिका के अनुसार किया जायेगा।

4– **वार्षिक वेतनवृद्धिः–** राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों की भांति न्यायिक अधिकारियों के लिए वार्षिक वेतनवृद्धि की तिथि प्रत्येक वर्ष एक जनवरी अथवा एक जुलाई से होगी। ऐसे न्यायिक अधिकारी जिनकी वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2016 से 30.06.2016 के मध्य है, उनको वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2016 को दी जायेगी तथा जिन अधिकारियों की वेतनवृद्धि की तिथि 01.07.2016 से 31.12.2016 के मध्य होगी, उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि दिनांक 01.07.2016 को दी जायेगी। भविष्य में भी वार्षिक वेतनवृद्धि प्रत्येक वर्ष उक्तानुसार एक जनवरी एवं एक जुलाई को ही अनुमन्य करायी जायेगी। जिन अधिकारियों की वेतनवृद्धि की तिथि 01.01.2016 है, ऐसे अधिकारियों को पूर्व वेतनमान में वेतनवृद्धि अनुमन्य करने के बाद पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा तथा आगामी वेतनवृद्धि दिनांक 01.01.2017 से अनुमन्य होगी।

5– **महँगाई भत्ता:–** द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की संस्तुति के आलोक में केन्द्र सरकार के अधिकारियों की भांति राज्य सरकार के अधिकारियों को सातवें वेतन आयोग के क्रम में लागू महँगाई भत्ते न्यायिक अधिकारियों को भी देय होंगे। इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञाप सं०–69/XXVII (7)02/2010 दिनांक 13.04.2017, कार्यालय ज्ञाप सं०–97/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17.05.2017 तथा शासनादेश सं०–78/XXVII(7)02/2016 दिनांक 17.05.2017 में अनुमन्य किये गये महँगाई भत्ते का समायोजन करने के बाद ही दिनांक 01.01.2016 से पुनरीक्षित किये गये वेतनमानों के अनुसार राज्य सरकार के वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर अनुमन्य महँगाई भत्ते का भुगतान किया जायेगा।

6— न्यायिक अधिकारियों के वेतन, भत्तों आदि से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश सं0—108/XXXVI(1)/2010-50/2009 दिनांक 21.05.2010 एवं समय—समय निर्गत अन्य संशोधित शासनादेशों में अनुमन्य अन्य भत्तें एवं सुविधायें न्यायिक अधिकारियों को मा0 उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक यथावत प्राप्त होती रहेंगी तथा पुरानी पेंशन स्कीम से आच्छादित न्यायिक अधिकारियों के पेंशन निर्धारण सम्बन्धी कार्यालय ज्ञाप सं0—18/XXXVI(2)/2010-180/10 दिनांक 11.01.2011 एवं समय—समय पर संशोधित आदेशों में निर्धारित व्यवस्था मा0 उच्चतम न्यायालय के अग्रिम आदेशों तक यथावत लागू रहेंगी।

7— उपरोक्त पुनरीक्षित वेतनमान, भत्ते तथा सुविधायें उन न्यायिक अधिकारियों को भी अनुमन्य होंगे, जो जिला न्यायालयों में तैनात नहीं है, अपितु अन्य विभागों/प्रतिनियुक्ति/कुटुम्ब न्यायालयों इत्यादि में समकक्ष पद पर तैनात है।

8— **न्यायिक अधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान एवं एरियर की अवशेष धनराशि का भुगतान निम्नवत किया जायेगा:—**

a) न्यायिक अधिकारियों के पुनरीक्षित वेतनमान का भुगतान माह सितम्बर, 2022 के वेतन से नकद किया जायेगा।

b) दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2022 तक के पुनरीक्षित वेतनमान में मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 के अनुसार वेतन के एरियर की देय धनराशि का नकद भुगतान न्याय विभाग की अधिसूचना सं0—148/XXXVI(1)/2018—30 रिट/2018 दिनांक 01.05.2018 द्वारा अनुमन्य 30% अन्तरिम राहत की धनराशि को समायोजित करते हुए निम्नानुसार किया जायेगा:—

(i) पुनरीक्षित वेतनमान में दिनांक 01.01.2016 से 31.08.2022 तक देय कुल एरियर की धनराशि के 25% का नकद भुगतान मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2022 से तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

(ii) एरियर की कुल देय धनराशि के 25% का नकद भुगतान उसके अगले तीन माह के अन्दर किया जायेगा।

(iii) एरियर की कुल देय धनराशि के शेष 50% का नकद भुगतान माह जून, 2023 से पूर्व अथवा माह जून, 2023 के अन्त तक किया जायेगा।

c) उक्त समस्त एरियर की धनराशि के भुगतान से पूर्व इस पर देय आयकर की कटौती भी की जायेगी।

9— यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं0—I/61662/2022 दिनांक 08.09.2022 में प्रदत्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

<u>संलग्नक—यथोपरि।</u>

भवदीय,

Signed by Dhananjay Chaturvedi
Date: 08-09-2022 14:18:45

(धनंजय चतुर्वेदी)
सचिव

संख्या– ——— /XXXVI-A-1/2022-261/2022 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित।

1. महासचिव, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड, कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. सचिव, विधान सभा, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला न्यायाधीश, उत्तराखण्ड।
9. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड सहकारिता अधिकरण, देहरादून।
10. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड वाणिज्य कर अधिकरण, हरिद्वार रोड़, देहरादून।
11. अध्यक्ष, राज्य परिवहन अपीलीय अधिकरण, देहरादून।
12. निदेशक, उत्तराखण्ड न्यायिक एवं विधिक अकादमी, नैनीताल।
13. निबन्धक, उत्तराखण्ड लोक सेवा अधिकरण, देहरादून।
14. समस्त न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, उत्तराखण्ड।
15. सचिव, लोकायुक्त, उत्तराखण्ड।
16. अध्यक्ष, उत्तराखण्ड औद्योगिक न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, नैनीताल।
17. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
18. न्यायाधीश, वाणिज्यिक न्यायालय, देहरादून/हल्द्वानी।
19. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
20. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
21. निदेशक, कोषागार, पेंशन एवं लेखा उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड़, डालनवाला, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वह दिनांक 15.09.2022 से पूर्व संशोधित वेतन पर्ची जारी करने का कष्ट करें।
22. समस्त मुख्य कोषाधिकारी/वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
23. वित्त अनुभाग–5/वित्त अनुभाग–7/वित्त अनुभाग–10/कार्मिक अनुभाग–4/न्याय अनुभाग–2/न्याय अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
24. श्री सुदर्शन सिंह रावत/सुश्री वंशजा शुक्ला, एडवोकेट ऑन रिकार्ड, मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 29.07.2022 के क्रम में।
25. गार्ड फाईल/एन0आई0सी0।

आज्ञा से,

Signed by Rajoo Kumar Srivastava
Date: 08-09-2022 14:26:57

(आर0 के0 श्रीवास्तव)
अपर सचिव

शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08.09.2022 को संलग्नक

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग द्वारा संस्तुत एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत वेतन तालिका

संलग्नक–1
पृष्ठ–1

Sr. No.	Civil Judge (Jr. Div) Entry Level	Civil Judge (Jr. Div) I Stage ACP	Civil Judge (Jr. Div) II Stage ACP/Civil Judge (Sr. Div) Entry Level	Civil Judge (Sr. Div) I Stage ACP	Civil Judge (Sr. Div) II Stage ACP/District Judges Entry Level	District Judges (Selection Grade)	District Judges (Super Time Scale)
Existing Pay Scale	27700-44700	33090-45850	39530-54010	43690-56470	51550-63070	57700-70290	70290-76450
Existing Entry Pay	27700	33090	39530	43690	51550	57700	70290
Level	J-1	J-2	J-3	J-4	J-5	J-6	J-7
Year 1	77840	92960	111000	122700	144840	163030	199100
Year 2	80180	95750	114330	126380	149190	167920	205070
Year 3	82590	98620	117760	130170	153670	172960	211220
Year 4	85070	101580	121290	134080	158280	178150	217560
Year 5	87620	104630	124930	138100	163030 1/1/22	183490	224100
Year 6	90250	107770	128680	142240	167920 1/1/23	188990	
Year 7	92960	111000	132540	146510	172960 1/1/24	194660	
Year 8	95750	114330	136520	150910	178150	200500	
Year 9	98620	117760	140620	155440	183490	206510	
Year 10	101580	121290	144840	160100	188990	212710	
Year 11	104630	124930	149190	164900	194660	219090	
Year 12	107770	128680	153670	169850			
Year 13	111000	132540	158280	174950			
Year 14	114330	136520	163030	180200			
Year 15	117760						
Year 16	121290						
Year 17	124930						
Year 18	128680						
Year 19	132540						
Year 20	136520						

Dhananjay 08/9/2022
(धनंजय चतुर्वेदी)
सचिव

शासनादेश सं0–292/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक 08-3-2022 का संलग्नक

मा0 द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्वीकृत फिटमेन्ट तालिका

संलग्नक–2
पृष्ठ–2

क्र0 सं0	वर्तमान वेतनमान (रूपये में)		पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	
	वेतन	वेतनवृद्धि	वेतन	वेतनवृद्धि
1	27700	770	77840	2340
2	28470	770	80180	2410
3	29240	770	82590	2480
4	30010	770	85070	2550
5	30780	770	87620	2630
6	31550	770	90250	2710
7	32320	770	92960	2790
8	33090	920	95750	-
9	34010	920	95750	2870
10	34930	920	98620	2960
11	35850	920	101580	3050
12	36770	920	104630	3140
13	37690	920	107770	3230
14	38610	920	111000	3330
15	39530	920	114330	-
16	40450	1080	114330	3430
17	41530	1080	117760	3530
18	42610	1080	121290	3640
19	43690	1080	124930	3750
20	44770	1080	128680	3860
21	45850	1080	132540	-
22	46930	1080	132540	3980
23	48010	1080	136520	4100
24	49090	1230	140620	4220
25	50320	1230	144840	4350
26	51550	1230	149190	-
27	52780	1230	149190	4480
28	54010	1230	153670	4610
29	55240	1230	158280	4750
30	56470	1230	163030	-
31	57700	1230	163030	4890
32	58930	1380	167920	5040
33	60310	1380	172960	5190
34	61690	1380	178150	-
35	63070	1380	178150	5340
36	64450	1380	183490	5500
37	65830	1380	188990	-
38	67210	1540	188990	5670
39	68750	1540	194660	4440
40	70290	1540	199100	5970
41	71830	1540	205070	6150
42	73370	1540	211220	6340
43	74910	1540	217560	6540
44	76450	-	224100	-

08/3/2022
(धनंजय चतुर्वेदी)
सचिव

शासनादेश सं0–२९२/XXXVI-A-1/2022-261/2022 दिनांक ०८.०९.२०२२ का संलग्नक

राज्य सरकार के अधिकारियों से समतुल्यता तालिका (नोशनल)

संलग्नक–3
पृष्ठ–3

क्र0 सं0	न्यायिक अधिकारियों के वर्तमान वेतनमान (रूपये में)	पुनरीक्षित वेतनमान (रूपये में)	राज्य सरकार के अधिकारियों को अनुमन्य ग्रेड वेतन (रूपये में)/Level से समतुल्यता
1	27700–770–33090–920 –40450–1080–44770	77840–136520	5400/Level-10
2	33090–920–40450–1080 –45850	92960–136520	6600/Level-11
3	39530–920–40450–1080 –49090–1230–54010	111000–163030	7600/Level-12
4	43690–1080–49090–56470	122700–180200	8700/Level-13
5	51550–1230–59930–1380 –63070	144840–194660	8900/Level-13A
6	57700–1230–58930–1380 –67210–1540–70290	163030–219090	10000/Level-15
7	70290–1540–76450	199100–224100	एच0 ए0 जी0 (HAG)/ Level-16 को अनुमन्य सुविधा

08/9/2022
(धनंजय चतुर्वेदी)
सचिव